



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्र.2/मंत्रा/ग्रा.से.चार्ज/2018/2844 जयपुर दिनांक: 26-6-18

:- परिपत्र :-

विभागीय आदेश क्रमांक 2210 दिनांक 17.05.2018 के द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 1939 दिनांक 24.06.2014 एवं इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को प्रत्याहरित किया जाकर ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) का चार्ज सिर्फ निकटतम ग्राम पंचायत के दूसरे ग्राम विकास अधिकारी को ही सौंपा जाने एवं वर्तमान में यदि ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज अन्य किसी कार्मिक को सौंपा हुआ है, तो उसे तत्काल निकटतम ग्राम विकास अधिकारी को सौंपा जाना सुनिश्चित करने बाबत निर्देश दिये गये थे, को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

अतः विभागीय आदेश क्रमांक 1939 दिनांक 24.06.2014 एवं 3184 दिनांक 29.07.2015 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी रहेंगे।

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्राविपंराज विभाग, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, ग्राविपंराज विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंराज विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
7. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(राजेन्द्र शंकर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव